



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

HDFC
ERGO

राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित

सुरक्षित किसान, राष्ट्र का अभिमान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु कृषकों के सहायतार्थ प्रश्नोत्तरी:

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है ?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है। इससे किसानों को अचानक आए जोखिम या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।

प्रश्न: फसल बीमा कौन करवा सकता है ?

उत्तर: ऋणी एवं गैर-ऋणी (बटाईदार / साझेदार) किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहता है तो उन्हें बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गए निर्धारित प्रपत्र (Opt-Out) में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उसे **खरीफ 2022** के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जाये। जिसके आवेदन की अन्तिम तिथि **24 जुलाई, 2022** है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी ?

उत्तर: बीमित राशि गत 7 वर्षों के जिला स्तर के उपज में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों के उपज के औसत को न्यूनतम समर्थन मूल्य से गुणा के अनुसार तथा जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं है उनके लिए बाजार भाव से गुणा कर तय की गयी है।

प्रश्न: फसल बीमा के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर क्या है ?

उत्तर: खरीफ मौसम के लिए 2 प्रतिशत, रबी मौसम हेतु 1.5 प्रतिशत, व्यावसायिक और बागवानी फसलों हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत।

पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल हैं ?

उत्तर: 1) फसलों की बाधित बुवाई/रोपण ना कर पाना/असफल अंकुरण जोखिम: बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम/मौसमी दशाओं के कारण बुवाई/पौध रोपण/अंकुरण न होने से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करना।

2) खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक): सूखा, शुष्क स्थिति, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक रूप से कीटों व रोगों के प्रभाव, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि तथा चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता है।

3) फसल कटाई के उपरान्त नुकसान: यह प्रावधान ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में "काटकर व फैलाकर/छोटे गठ्ठरों में बांधकर" सुखाने हेतु रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात् केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है।

4) स्थानीय आपदाएं: योजना के तहत स्थानीयकृत जोखिमों/आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने तथा अधिसूचित इकाई अथवा किसी खेत के हिस्से पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगने से फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत किसान के खेत के स्तर पर बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल नहीं हैं ?

उत्तर: योजना के अन्तर्गत युद्ध तथा नाभिकीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान, दुर्भावनापूर्ण क्षति तथा अन्य निवारण योग्य जोखिमों को (योजना से) बाहर रखा जाएगा।



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

प्रश्न: इस योजना के तहत गैर-ऋणी किसान बीमा कैसे ले सकते हैं ?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा/सहकारी समिति/अधिकृत चैनल पार्टनर/जन सेवा केंद्र (सीएससी)/बीमा कम्पनी या उनके अधिकृत एजेंट से सम्पर्क कर सकते हैं या निर्धारित तिथि के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल - <https://www.pmfby.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

प्रश्न: गैर-ऋणी किसान द्वारा फसल बीमा लेने के लिए कौन से दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य हैं ?

उत्तर: गैर-ऋणी किसानों को अधिसूचना अनुसार नवीनतम जमाबंदी की नकल (पटवारी द्वारा सत्यापित), आधार कार्ड, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र जिसमें खसरा संख्या का कुल क्षेत्र, प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वयं, परिवार एवं बटाई) अंकित कर प्रस्तुत करना होगा, भू-स्वामी से घोषणा पत्र/अनुबंध (पट्टे की भूमि के मामले में), बैंक पास बुक की कॉपी जिसमें IFSC Code एवं खाता संख्या अंकित हो या खाते की रद्द (Cancelled) चेक, बटाईदार एवं भू-स्वामी की आधारकार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति, बटाईदार कृषक होने पर उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त शपथ पत्र एवं राजस्थान का मूल निवास प्रमाणपत्र की प्रति जमा कराना अनिवार्य होगा।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा इकाई क्या हैं ?

उत्तर: मुख्य फसलों के लिए बीमा इकाई पटवार मंडल स्तर एवं अन्य फसलों के लिए बीमा इकाई तहसील स्तर है।

प्रश्न: स्थानीय आपदाओं से फसल में नुकसान होने पर सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया क्या हैं ?

उत्तर: प्रभावित बीमित कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 1800 266 0700/क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से अथवा लिखित में विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये निर्धारित प्रारूप में अपने बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करवाना आवश्यक है। यदि 72 घण्टे में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो कृषक द्वारा 7 दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को देना आवश्यक होगा परन्तु 72 घण्टे में सूचना देना अति आवश्यक है।

खरीफ मौसम में ऋणी कृषकों द्वारा योजना से अलग होने के लिए संबंधित बैंक में लिखित में घोषणा पत्र देने की अंतिम तिथि

24 जुलाई 2022

ऋणी कृषक द्वारा फसल परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित वित्तीय संस्थान में देने की अंतिम तिथि

29 जुलाई 2022

खरीफ मौसम के लिए ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि

31 जुलाई 2022

फसल बीमा हेतु अथवा योजना की अधिक जानकारी के लिए



बैंक शाखा



8 GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED



WWW



सहकारी समिति




कृषि विभाग

बैंक शाखा/CSC/www.pmfby.gov.in/
सहकारी समिति/कृषि विभाग अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 266
0700 या विज़िट करें www.hdfcergo.com अथवा
भारत सरकार से जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के
टोल फ्री नम्बर 1800 180 1551 पर सम्पर्क करें।

स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई के उपरान्त नुकसान की सूचना अथवा दावे की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया अपने इंडॉइड फोन में



द्वारा



डाउनलोड करें।



ई-मेल: pmfby.rajasthan@hdfcergo.com

टोल फ्री नं.: 1800 2660 700